of the Constitution of India and any such step in case of non-minorities schools would ordinarily be violative of Article 19(g) of the Constitution of India

पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में कथित गोलमाल

7917. **श्री मही लाल :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाक 23 फरवरी, 1978 के नवभारत टाइम्स मे प्रकाशित होने वाले "पाठ्य पुस्तको के प्रकाशन मे लाखो रुपयो के गोलमाल" से सम्बन्धित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हा, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये है या करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख)। सरकार ने उस समाचार को देखा है जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की नई 10+2 पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन तथा वितरण से सम्बन्धित है । विषय-वस्तु तथा सामग्री के महत्व और उसकी व्यवस्था मे पर्याप्त परिवर्तन के कारण भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा गणित की पाठ्य पुस्तको के सशोधित सस्करण निकालने पडे थे । कक्षा IX-X की भूगोल की दो पुस्तको के सशोधित सस्करण तैयार करने पडे क्योकि यह पहले वाली पुस्तको से बिल्कुल भिन्न हैं । कक्षा IX-X के लिए, हिन्दी और सस्कृत भाषा की पुस्तको के सशोधित सस्करण अभी प्रकाशित नही किये गये । विभिन्न माध्यमिक शिक्षा बोर्डों तथा सूचना और प्रसारण मत्रालय के प्रकाशन विभाग, रा० शै० अनु० प्र० परि० की पाठ्यपुस्तकों और अन्य प्रकाशनों के राष्ट्रीय वितरको को सत्र 1977–78 के लिए कक्षा I, III, VI, IX, तथा XI, की पाठ्यपुस्तकों मे परिवर्तन के सम्बन्ध मे पर्याप्त नोटिस दिया गया था। कक्षा IX और X की नई पुस्तको के बारे मे प्रकाशन विभाग के विक्रय डिपुओं को नवम्बर, 1976 मे एक पत्र भेजा गया था । इसके अतिरिक्त जनवरी, 1977 मे रा०शै०अनु०प्र०परि० ने नई पुस्तको मे परिवर्तनों के सम्बन्ध मे समस्त भारत के प्रमुख समाचार पत्रो मे विज्ञापन दिये थे । नई पाठ्य पुस्तको के प्रकाशन तथा वितरण का काम क्योकि एक बहुत बडा कार्य था इसलिए रा०शै०अनु०प्र०परि० ने अपनी 50 पुस्तकों को अपनी प्रिन्टिग रेट अनुसूची तथा स्वीकृत मूल्य सूत्र के आधार पर प्राईवेट प्रकाशको को प्रकाशन तथा वितरण के लिए सौपा था । जहा तक प्राईवेट प्रकाशको को सौपी गई रा० शै०अनु०प्र०परि० की पाठ्य-पुस्तको के वितरण का सम्बन्ध है प्राईवेट प्रकाशको की वितरण की अपनी व्यवस्था है और पुस्तको का वितरण स्वय प्रकाशको द्वारा खुदरा व्यापारियो मे किया जाता है ।

राज्यों में जमींदारी प्रथा

7918. **श्री मही लाल :** क्या कृषि और सिचाई मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि देश मे कुछ राज्यो के भागों मे अब भी जमीदारी प्रथा विद्यमान है ,

(ख) यदि हा, तो ऐसे राज्यो के नाम क्या हैं और ऐसे राज्यो मे उन स्थानो के नाम क्या हैं जहा यह सामाजिक बुराई विद्यमान है और इसको अब तक दूर न किये जाने के क्या कारण है, और

(ग) इस देश मे यह बुरी प्रथा कब तक समाप्त किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग). स्वतंत्रता से पहले बिहार, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों, असम, उड़ीसा और तमिलनाडु में जमींदारी प्रथा का स्थायी बन्दोबस्त था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम के कुछ भागों, उड़ीसा और राजस्थान मे जमीदारी प्रथा का अस्थायी बन्दोबस्त था। स्वतंत्रता के बाद तत्काल जमीदारी प्रथा के उन्मूलन को उच्च प्राथमिकता दी गई। समस्त व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए जमीदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया और 200 लाख किसानों का राज्य से सीधा सम्पर्क स्थापित हो गया। शेष बिचौलिया प्रणाली मे से कुछ जागीरे तथा इनाम अभी जारी है। ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है तथा उनके उन्मूलन के उपाय किए जा रहे है।

राज्यों में किसानों का श्रेणीवार ब्यौरा

7919. **श्री मही लाल**: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किसानों की राज्यवार जमीदार, बटाई दार, आदिवासी जैसी तथा अन्य कितनी श्रेणिया है, और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकारों को यह सलाह देने का है कि सभी राज्यों में एक ही श्रेणी के किसानों से समान भू-राजस्व लेने के सांविधिक व्यवस्था की जाये ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) आदिवासी काश्तकारों सहित अन्य काश्तकारो के बारे मे जानकारी, 1971 की सामान्य गणना रिपोर्ट मे उपलब्ध है। पट्टे-धारकों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी 1970–71 की कृषि गणना से उपलब्ध हुई। तदनुसार, दो विवरण संलग्न हैं।

(ख) संविधान के अनुसार भू-राजस्व के निर्धारण का विषय राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र के अतर्गत आता है। मृदा के वर्गीकरण, सिंचाई की सुविधाओं, उगाई जाने वाली फसलों के स्वरूप, आदि बातो को ध्यान मे रखते हुए, सामान्यत. भूमि की उत्पादकता के आधार पर बन्दोबस्त या पुनर्बन्दोबस्त के समय पर भू-राजस्व निर्धारित किया जाता है।

भू-राजस्व की दर का सम्बन्ध भूमि से होता है, न कि भूस्वामी या भूधारक से। भू-राजस्व सामान्यत: केवल "रैय्यत" या "भू-धारक" को ही अदा करना होता है और बटाईदारों, आदि को अदा नही करना पडता।

विवरण —1

काश्तकारी की 1971 की जन गणना

राज्य	कुल		अनुसूचित जनजाति (आदिम वासी)	
	मर्द	स्त्रिया	मर्द	स्त्रिया
1	2	3	4	5
भारत . . .	68,910,236	9,266,471	6,749,580	1,668,911
आन्ध्र प्रदेश . .	4,785,487	1,009,214	223,350	58,889